

**अनुमति की शर्तें ।**

- (a) उक्त भवन/सूचना के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व शिर्षक नहीं करती है ।
- (b) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजस्वगत, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी भीपक्षी के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (c) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने ही आवेदक निगम को सूचित करेंगा ।
- (d) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पात्र जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

**एन.एल. सिविल वर्क्स प्रा. लि. नगर आयोजन विभाग**

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 648 दिनांक 30/3/2020

श्री. आशुतोष शोक्ता डा. 30 की दरमियान सिटिंग कोलाणी

न. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000 P-3100 33 कोलाणी कोलाणी

पारा 194 (ए) (ग) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश आशुतोष शोक्ता

कर स्वामित्व राशि रुपये 10354/- जमा करिये रसीद संख्या 9069/2788, 2789

दिनांक 30/3/2020 को जमा करा दी है ।

30/3/2020

सहायक नगर निरीक्षक  
नगर निगम जोधपुर

श्री. आशुतोष

श्री. शोक्ता  
30-3-2020

(M) 9784000529